

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 31-3

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 26 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खाता संख्या 5	26	महावीर कुजगण बगारसी देवी दिल्ली पारिजात विदानी अमोलापुत्र बोतेदाम	महावीर, रामनिकण, शीशराज, कुजगण कुजगण बगारसी देवी परिसर मालाम दिल्ली 42 पारिजात विदानी अमोलापुत्र बोतेदाम

20/10/21
 पीठासीन अधिकारी
 भू-अभिलेख अधिकारी
 (एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 130/2021

दिनांक :- 20/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री महावीर, रामनिकण, शीशराज, कुजगण को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। कुजगण बगारसी देवी परिसर मालाम दिल्ली पारिजात विदानी अमोलापुत्र

20/10/21
 भू-अभिलेख अधिकारी
 (एस.डी.ओ.)